

REGIONAL COLLEGE OF EDUCATION
Al. Iwan, P.O. Kharharan, (Gaya)
Secretary
A.P. Sobay



No 012066

संस्थाओं के निवर्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या... ५६७

दिनांक 2009-2010

में इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि " नव वीहार एडुकेशनल एण्ड
रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, शांति बिल्डा, बड़भार
पोस्टा गावा, पो. - गावा, जिला - गावा, 823001 बिहार ।

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख दो मास शुन वर्ष दो को पटना में मेरे हस्ताक्षर के
साथ दिया गया ।

संस्था निवर्धन अधिनियम-21, 1860 के
अधीन निर्दिष्ट विधान मान संस्था का
निवर्धन करने के लिए संस्था के
वास्तव में कार्यवाही करने के लिए का प्रमाण
या वित्तीय ब्यौता का प्रदर्शन हेतु
अवश्याता नहीं माने जाय ।

भारते, महानिरीक्षक, निवर्धन, बिहार, पटना ।

(Signature)
1. 6. 2009

Secretary
A.P. Sobay
REGIONAL COLLEGE OF EDUCATION
Al. Iwan, P.O. Kharharan, (Gaya)

फ़. सं. मं. (निवर्धन) 1 - II - 10, 000 - 23-9-2004 - शी. पन. निर

Office of the Circle Officer
Wazirganj Block, Dist.-Gaya (Bihar)
(Govt. of Bihar)

Ref. No.....90.....

Date ..16-9-11..

**CERTIFICATE OF USE OF LAND FOR
EDUCATIONAL PURPOSE**

This is to certify that the piece of land vide Khata no.- 51 (New) & 02 (New),Plot No: - 942 (New) & 943 (New) is in a single plot having an area 83.21 Dismal (3367.04 sq.mts.) at the Vill. - Itwan (Karjara), Block - Wazirganj, Dist. - Gaya (Bihar) on Gaya -Rajgir National Highway Road has been exclusively possessed by Regional College of Education, Gaya. Further it is to certify that this piece of land is fit to be used for building structures for educational purpose.

I wish the management of the above college to use the land for the college at an early date.

Signature of the Circle Officer
With Office Seal.



C/S
P. P. Sabay
Secretary
REGIONAL COLLEGE OF EDUCATION
At. Itwan, P.O.Kharhari, (Gaya)

C/S
P. P. Sabay
Secretary
REGIONAL COLLEGE OF EDUCATION
At. Itwan, P.O.Kharhari, (Gaya)

TESTED
P. N. SINGH
NOTARY PUBLIC, GAYA

Office of the Circle Officer
Wazirganj Block, Dist. - Gaya (Bihar)
(Govt. of Bihar)

Ref. No. 95.....

Date 21-9-11.....

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that single piece of land vide Khata No. 51 (New) & 02 (New), Plot No. 942 (new) & 943 (New) having an acreage 83.21 Dismals (3367.04 sq.mt.) at Vill. - Itwan, Panchayat - Karjara, Block - Wazirganj, Dist. - Gaya (Bihar) has been in possession of Regional College, of Education whose management is entitled to use the land for the service of the said college for building infrastructures etc. The piece of land get registered & mutated for Regional College of Education, Gaya.

I wish the management of this College to make use of the above piece of land judiciously.

C/S
P. P. Sahay
Secretary
REGIONAL COLLEGE OF EDUCATION
At. Itwan, P.O. Kharhari, (Gaya)

C/S
P. P. Sahay
Secretary
REGIONAL COLLEGE OF EDUCATION
At. Itwan, P.O. Kharhari, (Gaya)

Signature of the Circle Officer
With Office Seal



(P. N. SINGH)
NOTARY PUBLIC, GAYA

24/9/11



q/s
P. P. Sahay
 Secretary
 REGIONAL COLLEGE OF EDUCATION
 Al. Itwan, P.O. Kharhari, (Gaya)

q/s
P. P. Sahay
 Secretary
 REGIONAL COLLEGE OF EDUCATION
 Al. Itwan, P.O. Kharhari, (Gaya)

अनुसूची 21-प्रपत्र संख्या 113

RTPS-968

संपत्ति-अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं० 964

आवेदन सं० 9662

जि० श्री Secretary Nav. Vikas Educational and Rural Development Society, Gaya

के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्बन्धियों और अवधारों का सविस्तर प्रमाण पत्र दिया जाय,
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विधान 21)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि दस्तावेजों को प्रभावित करने वाले सम्बन्धियों और अवधारों के बारे में तथ्य 1 में और इससे सम्बन्धित अनुक्रमणियों में वर्ष 2011 से तात्पर्य है तत्कालीन तत्कालीन की गई और एसी तत्कालीन के बाद निम्न सम्बन्धियों और अवधारों को पता चला है:-

| क्र० संख्या | (क) संपत्ति का विवरण | निर्माण की तारीख | (ख) दस्तावेज का प्रकार | पक्षों का नाम | | दस्तावेज की प्रकृति के प्रति निर्देश | | |
|-------------|----------------------|------------------|------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|------|-------|
| | | | | निष्पादक | दावेदार | जिल्द सं० | वर्ष | पृष्ठ |
| | Map of Nawgauri | | | | | | | |
| | Plot No 2 New Plot | | | | | | | |
| | 083-21 Decimal | | | | | | | |

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
- (ख) 1. संपत्ति पत्र को दस्तावेज में स्थान की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। यहाँ, कि इनके बारे में उल्लेख है।
- 2. पृष्ठ की दशा में पृष्ठ को अवधि और निर्दिष्ट स्थान दर्ज करें।

यदि यह भी प्रमाणित करता है उपयुक्त राज्यवहारी और अवधारों की छोड़ तब तक संगति नहीं
 चाली किन्हीं अन्य राज्यवहारी और अवधारों का पत्र नहीं चला है। अनु. II के अनुसार दि. 20/11/2017 के तहत
 निम्न व्यक्तियों ने तलारों की और प्रमाण-पत्र देया किया :- तब जो भी उस मुक्ति के पत्र पर
 मुक्ति पाया

(हस्ताक्षर): William Latimer
 (पर का नाम): L. D. C.

तलारों का सत्यापन और प्रमाण-पत्र को जोर निम्न व्यक्तियों ने की:

(हस्ताक्षर): [Signature]

(पर का नाम): L. D. C.

(धनवांछना): जिला कवर (विबंधन कार्यालय), रायबरेली

तारीख: 28.3.16



विभागों इस प्रमाण-पत्र में जो राज्यवहारी और अवधार दिए गए हैं वे आवश्यक रूप से एक अनुपस्थिति
 विभाग के अनुपस्थिति पत्र में हैं। यदि आवश्यक द्वारा दिए गए विवरण से इनमें किसी भी त्रुटि
 इनकी संगतियों की निर्दिष्ट प्रतियों में दिया गया हो तो किसी दस्तावेजों से सम्बंधित राज्यवहारी
 (दानोकराजस) इस प्रमाण पत्र में सम्बंधित किने जायेंगे।

(2) विबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुपस्थितियों (हॉटेकर) को
 प्रविष्टियां देखना चाहते हो, अधिका जो उनका प्रतिलिपी लेना चाहते हो अधिका विनिर्दिष्ट संगतियों का
 अवधारों के प्रमाण पत्रों का पर्यवेक्षण हो उनके तलारों स्वयं करनी होगी। विहित स्थिति का ध्यान
 पत्र बहियों और अनुपस्थितियों उनके सामने रख हो जायेंगे।

चूंकि वर्तमान मामले में आवश्यक ने स्वयं तलारों नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित
 तलारों अपने परसक साधानों से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण पत्र में दिये गए तलारों परिमाण
 को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(3) और चूंकि वर्तमान मामले में अपेक्षित तलारों स्वयं को है और चूंकि उनके द्वारा दिये गए अवधारों
 और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवश्यक रूप से
 गये ऐसे राज्यवहारी और अवधारों को छूट के लिए किसी तरह का जिम्मेदार नहीं होगा। विभाग
 द्वारा दिये गए अवधारों के लिए किसी तरह का जिम्मेदार नहीं होगा। विभाग द्वारा दिये गए अवधारों के लिए

जिला निकाश कार्यालय रायबरेली
 दि. 28/03/16 को प्रमाणित किया गया।
 10/2/2017 को प्रमाणित किया गया।
 21-प्र० सं० 1131 (सी०बी०सी०के०)
 दिनांक 26.3.16 को प्रमाणित किया गया।

28/03/16
 मि० ए०,
 जयपुर।